5 COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(36)

5 COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R. 743-IV/05

प्रकरण क्रमांक /2005 पुनरीक्षण

श्री विवेक शुक्ला एडवोकेट द्वारा आज दि० 24/5/05 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

24 MAY 2005

जगदीश पुत्र श्री रघुवरदयाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पिपनी हाल निवासी पोरसा, जिला मुरैना — — आवेदक.

बनाम.

म०प्र० शासन द्वारा- अपर कलेक्टर, मुरैना. — — अनावेदक.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक १८-१-०५ पारित द्वारा श्री एम०के० सिंह, न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना(म०प्र०) प्रकरण क्रमांक ७४/२००३-०४/अपील वउनवान जगदीश बनाम म०प्र० शासन।

24-5-05

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, आवेदक की ग्राम पिपनी में आराजी भूमि सर्वे क्रमांक १३६०/२/३ रकबा ०-३३५ हैक्टर भूमि जिसकास्वामी आवेदक एवं उसके भाई श्रीराम, वासुदेव पुत्र जयनारायण, सावित्री पत्नि रामजस,कालीचरन,बाबाराम पुत्रगण जोमदार,कौशल्या, रामसनेही, बनवारीलाल, उदयसिंह, रामहरी, किशनशरण आदि लोग भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमि में से आवेदक के हिस्से में जो भूमि बची है उस भूमि पर कई वर्षों से खेती हो रही है एवं वर्तमान में भी खेती हो रही है। आवेदक द्वारा ...

24.5.05

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 743–चार/05 जिला–मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–12–16	आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री जादौन उपस्थित। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्र0क्र0 74/03–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 18.01.05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । आवेदक का तर्क है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही मौके का कोई स्थल निरीक्षण की किया गया। उनका कहना है कि प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार कोई आदेश पारित करने के पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर से प्ररकण संस्थित किया गया तथा उनके प्रतिवेदनों की पुष्टि में कथन भी लिये गये है तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी अभिलेख में संलग्न है।	

विशेष कर्त्तव्य अधिकारी ने आवेदक को जो नोटिस दिया है उस पर भी आवेदक दिनांक 07.05.02 को न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा जवाब प्रस्तुत करने के लिये समय चाहा, जो उसे दिया गया तथा प्रकरण में पेशी दिनांक 14.05.02 नियत की गई। दिनांक 14.05.02 को आवेदक द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने के पश्चात पुनः दिनांक 26.12.02 को उसे सूचना दी गई, किन्तु आवेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहा । दिनांक 23.01.03 को आवेदक की अनुपस्थित में एकपक्षीय कार्यवाही की गई । ऐसे में आवेदक ने तर्क में जो आधार लिये है वे अभिलेख के विपरीत एवं गलत है। आवेदक द्वारा प्रथम अपील भी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है और उसमें विलंब क्षमा करने का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है, इस कारण अपर कलेक्टर ने उसकी जो अपील निरस्त की है वह विधिनुकूल है। आवेदक का यह भी कहना है कि उक्त विवादित भूमि पर खेती हो रही है। तथाज निरीक्षण का पंचनामा भी प्रकरण में लगा हुआ है, जिसमें मौके पर पत्थर फड़ लगे हुये बताये गये है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुये आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को औचित्यपूर्ण माना है तथा स्थिर रखा है। अतः आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त चम्बल

संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2005 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0अली)
सदस्य